

स्पीड पोस्ट
अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ० प्र०,
गोपन प्रकोष्ठ, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक: 28 मार्च, 2017

संख्या:- C-56 / गोपन-3475 पी

विषय:-

महोदय,

चल/अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया जाना।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:- 447/दो-7-17-25/पीसीएस
(विविध)/2017, दिनांक 21-03-2017, जो अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
व आप को सम्बोधित है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 तथा 3 के अनुसार प्राथमिकता के
आधार पर कार्यवाही करते हुए शासन को संकलित सूचना निर्धारित समय के पूर्व उपलब्ध
कराते हुए परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

2017 208
2001

प्रेमक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

C-56
27.3.17

सेवा में,

अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ
कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन
समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०
समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०
समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

नयुक्ति अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक : 21 मार्च, 2017

विषय: चल/अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,


उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-24(संलग्न) में सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल तथा अचल सम्पत्ति को क्रय/विक्रय किये जाने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान दिए गये हैं। उक्त प्राविधानों के होते हुए भी यह अनुभव किया गया है कि उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकांश अधिकारियों द्वारा अपनी चल/अचल/बहुमूल्य सम्पत्ति का अद्यावधिक विवरण शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि लोक सेवक कर्तव्यपरायण, ईमानदार, अनुशासित एवं चरित्रवान होने चाहिए। प्रत्येक शासकीय सेवक के आचरण से शासन की छवि प्रतिबिम्बित होती है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न निर्धारित प्रारूप-1 पर दिनांक 15.03.17 की स्थिति के अनुसार ऐसी चल या अचल सम्पत्ति, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, के विवरण प्रस्तुत करें। ऐसे विवरण में उन साधनों(Sources) के या उन प्रसाधनों(Means) के ब्यौरे भी सम्मिलित हों, जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी। कृपया उक्तानुसार चल/अचल सम्पत्ति विवरण 06 अप्रैल, 2017 या उसके पूर्व तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त पी०सी०एस० अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पी०सी०एस० अधिकारियों से सम्पत्ति संबंधी विवरण प्राप्त कर संकलित रूप से निर्धारित तिथि तक शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन अधिकारियों द्वारा समयान्तर्गत विवरण नहीं उपलब्ध कराया जायेगा, उनके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक :-

- 1- उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 का नियम-24
- 2- प्रारूप-1

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम -24 यथासंशोधित में निम्न व्यवस्था है:-

24- Movable, immovable and valuable property--

(1) No. government servant shall except with has previous knowledge of the appropriate authority acquire dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name or in the name of any member of his family:

Provided that any such transaction conducted otherwise then through a regular and reputed dealer shall require the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

A. a government servant, proposes to purchase a house. He must inform the appropriate authority of he proposal. If the transaction is to be made otherwise than through a regular and reputed dealer

A must also obtain the previous sanction of the appropriate authority. The same procedure will be applicalbe if A, proposes to sell his house.

(2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for one month whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority;

Provided that no Government servant shall inter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.

(3) At the time of first appointment and thereafter at intervals of five years, every government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all, immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with or in any way dependent upon him. Such

declaration should state the full particulars of the property, shares and other investment

(4) The appropriate authority may, at any time, by general or special order, require a government servant to submit within a period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or by any member of his family as may be specified in the order such statement shall, if so required by the appropriate authority include details of the means by which or the source from which such property was acquired.

(5) The appropriate authority--

- (a) in the case of a government servant belonging to the State service, shall for purposes of sub-rules (1) and (4), be the Government and for sub-rule (2), the head of the Department.
- (b) in the case of other government servants, for the purposes of sub-rules (1) to (4) shall be the Head of the Department.

पूरा नाम.....

उ० प्र० सिविल सेवा में भर्ती का साधन.....

पैन एवं आई० डी० नम्बर :-

विविध प्रपत्र संख्या 1-ग

घोषणा का प्रपत्र

(क)

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हों)

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात् मैं कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूँगा।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(ख)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हों)

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है :-

भू-सम्पत्ति

भूमि जो मैं है			क्षेत्रफल एकड़ों में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
जिला	तहसील	गांव					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह-सम्पत्ति

क्रम- संख्या	गृह में स्थित		गृह की सं०	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	क्या रहने के प्रयोजन के लिये काम में आता है या किराये पर उठाया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
	ग्राम, कस्बा या नगर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में और अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को ध्यापित करूँगा।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

अवधेय-अचल सम्पत्ति में बन्धक (Mortgage) या पट्टे पर रखे गये गृह या भू-सम्पत्तियां भी सम्मिलित हैं।

किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो, या साथ में रहता हो, या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, रखी गई या उसकी ओर से प्रबन्ध की जाने वाली सम्पत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अचल सम्पत्ति द्वारा स्वयं रखी गई तथा उसके द्वारा प्रबन्ध की गई, सम्झी जायेगी।

